विचार बिन्दु

बुद्धि से विचार कर किए गए कर्म ही सफल होते हैं। –महाभारत

राम जल सेतु: राजस्थान की जल स्वावलम्बन क्रांति

राम जल सेतु लिंक परियोजना राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, जो सूखे की मार झेलते पूर्वी राजस्थान को जल आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प है। यह महज एक इंजीनियरिंग चमत्कार नहीं, बल्कि राजस्थान सरकार की दूरदर्शिता का प्रतीक है, जो संशोधित पार्वती कालीसिंध-चंबल (ERCP) योजना को ईस्टर्न राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) से जोड़कर एक व्यापक जल मिशन का रूप दे रही है। कल्पना कीजिए, जहां कालीसिंध नदी के उदग्रह जल को चंबल नदी के विशाल जलसेतु के माध्यम से मेज नदी ईसरदा बांध, बीसलपुर बांध और अंततः रामगढ़ बांध तक पहुंचाया जा रहा है। इससे 17 जिलों की 3.25 करोड़ जनसंख्या को पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक जरूरतों के लिए स्थायी समाधान मिलेगा। यह परियोजना न केवल जल संकट को दूर करेगी, बल्कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगी।

राजस्थान, जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान वाला राज्य है, सदियों से जल की कमी से जूझता रहा है। पूर्वी राजस्थान के जिले जैसे कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, झालावाड़, बारां, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि में मानसून की अनिच्छा ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। फसलें सूखीं, तालाब खाली हुए, और भूजल स्तर इतना नीचे चला गया कि हाथ-पांव फूल गए। ऐसी स्थिति में राम जल सेतु का निर्माण एक स्वप्निल परियोजना के रूप में उभरा है। पैकेज-2 के तहत 2330 करोड़ रुपये की लागत से पीपलदा समेल (कोटा) से गुहाटा (बूंदी) तक देश का सबसे लंबा एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है। यह संरचना, जो मई 2025 से तेजी से बन रही है, अप्रैल 2026 तक उल्लेखनीय प्रगति पर पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में इसका निरीक्षण कर अधिकारियों को युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। कुल मिलाकर यह 90,000 करोड़ की महायोजना है, जो चंबल बेसिन से बनास, बाणगंगा और अन्य बेसिनों तक जल का समान वितरण सुनिश्चित करेगी।

इस परियोजना की महत्ता को समझने के लिए हमें इतिहास की ओर झांकना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नदियों को जोड़ने के महासपने को आज साकार करने का समय आ गया है। राम जल सेतु उसी दिशा में एक कदम है। यह वंदे भारत जल संरक्षण जन अभियान और हर घर जल योजना का मजबूत आधार बनेगा। पूर्वी राजस्थान, जहां 40 प्रतिशत आबादी निवास करती है, वहां अब जल सुरक्षा की बयार बहेगी। ईसरदा बांध से रामगढ़ बांध तक जल पहुंचने से जयपुर जैसे महानगरों को भी राहत मिलेगी। किसान नई फसलें उगाएंगे, उद्योग फलेंगे-फूलेंगे, और पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। उदाहरणस्वरूप, कोटा का चंबल उद्यान और बूंदी के किले अब हरियाली से जगमगा उठेंगे। वास्तव में इसे राजस्थान की लाइफ लाइन कह सकते है, जो बिल्कुल सटीक है।

परियोजना की तकनीकी बारीकियां भी कम आश्चर्यजनक नहीं हैं। नवनेरा बैराज पर कालीसिंध का जल एकत्रित कर चंबल जलसेतु के 100 से अधिक स्ल्यूस गेट्स से पार कराया जाएगा। यह एक्वाडक्ट न केवल लंबाई में अद्भुत है, बल्कि भूकंप प्रतिरोधी और पर्यावरण अनुकूल भी है। निर्माण में आधुनिक तकनीक जैसे प्रीकास्ट कंक्रीट स्लैब और हाई टेंसाइल स्टील का उपयोग हो रहा है। इससे न केवल जल हानि न्यूनतम होगी, बल्कि रखरखाव लागत भी कम रहेगी। मध्य प्रदेश के साथ सहयोग से यह परियोजना और मजबूत हुई है, क्योंकि योजना में दोनों राज्यों का हित है। हाल की प्रगति में जल्द ही 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने की उम्मीद है, जो राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भविष्य में राम जल सेतु राजस्थान को जल निर्यातक बना सकता है। पड़ोसी राज्यों के साथ जल साझेदारी बढ़ेगी। सौर ऊर्जा से संचालित पंप और स्मार्ट सेंसर से जल प्रबंधन क्रांतिकारी होगा। युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सशक्तिकरण, और किसानों को समृद्धि मिलेगी। यह परियोजना साबित करेगी कि इच्छाशक्ति से असंभव कुछ नहीं। अटल जी का सपना आज राजस्थान सरकार के हाथों साकार हो रहा है।

राम जल सेतु का सामाजिक प्रभाव गहरा होगा। ग्रामीण महिलाओं को अब दूर-दराज के जलाशयों से पानी लाने की मजबूरी नहीं रहेगी। बच्चे स्कूल जाने का समय बचाएंगे, और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। सिंचाई से कृषि उत्पादकता में 30-40 प्रतिशत वृद्धि संभव है। गेहूं, सरसों, बाजरा जैसी फसलें अब वर्ष भर होंगी। औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों को सस्ता जल मिलेगा, जो औद्योगिक इकाइयों के लिए वरदान सिद्ध होगा। राजस्थान की जीएसडीपी में 5-7 प्रतिशत का इजाफा अनुमानित है। पर्यावरणीय दृष्टि से, यह जल संरक्षण को बढ़ावा देगा, भूजल रिचार्ज होगा, और रेगिस्तानीकरण रुकेगा। नमामि गंगे जैसे अभियानों से प्रेरित होकर यह योजना स्वच्छ जल सुनिश्चित करेगी।

हालांकि चुनौतियां भी हैं। वन्यजीव अभयारण्यों से होकर गुजरने वाली नहरों में वन्यजीव सुरक्षा एक मुद्दा है। स्थानीय किसानों की जमीन अधिग्रहण पर विवाद हो सकते हैं, जिन्हें निष्पक्ष मुआवजा से हल करना होगा। जलवायु परिवर्तन से वर्षा अनियमित हो रही है, इसलिए जल भंडारण क्षमता बढ़ानी होगी। केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता और मौसमी बाधाओं पर काबू पाना आवश्यक है। फिर भी, सरकार की सक्रियता से ये बाधाएं पार होंगी। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल पहुंचाने का लक्ष्य अब वास्तविक लगता है।

राजनीतिक दृष्टि से यह परियोजना राजस्थान सरकार की उपलब्धि है। विपक्ष ने भले ही पर सवाल उठाए हों, लेकिन वर्तमान प्रगति सबूत है। राजस्थान सरकार का नेतृत्व और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का समर्थन इसे राष्ट्रीय महत्व का बना रहा है। मैं इसे रामायण के राम सेतु से जोड़कर देखता हूं, भक्ति, कर्म और एकता का प्रतीक। ठीक वैसे ही, यह सेतु राजस्थान को सूखे के रावण से मुक्त करेगा।

भविष्य में राम जल सेतु राजस्थान को जल निर्यातक बना सकता है। पड़ोसी राज्यों के साथ जल साझेदारी बढ़ेगी। सौर ऊर्जा से संचालित पंप और स्मार्ट सेंसर से जल प्रबंधन क्रांतिकारी होगा। युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सशक्तिकरण, और किसानों को समृद्धि मिलेगी। यह परियोजना साबित करेगी कि इच्छाशक्ति से असंभव कुछ नहीं। अटल जी का सपना आज राजस्थान सरकार के हाथों साकार हो रहा है।

राम जल सेतु राजस्थान की धरती को हराभरा बनाने का वचन है। यह स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करेगा, जहां जल नदी नहीं, जीवन का आधार बनेगा। राज्य सरकार, इंजीनियरों और जनता की एकजुटता से यह सफल होगा। आइए, हम सभी इस अभियान का हिस्सा बनें, क्योंकि जल है तो जीवन है।

–अतिथि सम्पादक,
अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं कारपोरेट सलाहकार

राशिफल शनिवार 18 अप्रैल, 2026

पंडित अनिल शर्मा

वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2083, अश्विनी नक्षत्र प्रातः 9:45 तक, प्रीति योग रात्रि 11:56 तक, बव करण दिन 2:11 तक, चन्द्रमा आज मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मेष, चन्द्रमा-मेष, मंगल-मीन, बुध-मीन, गुरू-मिथुन, शुक्र-मेष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज चन्द्र दर्शन, दक्षिण श्रृंगोन्नति, देव दामोदर तिथि है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 7:40 से 9:15 तक, चर 12:26 से 2:02 तक, लाभ-अमृत 2:02 से 5:13 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 6:04, सूर्यास्त 6:48

मेष
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यक्तिगत कार्य के लिए यात्रा संभव है।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में सार्थक सफलता मिल सकती है। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

धनु
व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृष
मित्रों/रिश्तेदारों के कारण समय खराब हो सकता है। आज अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कन्या
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ एवं नवीन कार्यों में व्यवधान हो सकता है। सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा में दुर्घटना का भय है।

मकर
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

तुला
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में सार्थक सफलता मिल सकती है। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

वृश्चिक
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

मीन
घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है।

भेदभावपूर्ण और गलत नीतियों से दलहन के किसान 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' से वंचित

रामपाल जाट

चने की फसल आने के पूर्व ऑस्ट्रेलिया से 2,34,800 टन चना देश में पहुंचने के समाचार हैं। चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,875 रुपए प्रति क्विंटल घोषित है। बाजार भाव 4,800 से लेकर 5,200 रूपये प्रति क्विंटल है। सरकार की खरीद प्रभावी नहीं रहती है, खरीद का प्रबंधन ढीला-ढाला रहता है। किसानों की आय के संरक्षण के नाम पर राज्यो के कुल उत्पादन में से 75 प्रतिशत उत्पादन को तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की परिधि से बाहर धकेला हुआ है। किसानों की रक्षार्थ भारत सरकार ने छत्रक योजना के रूप में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान वर्ष 2018 से आरंभ किया हुआ है, इस योजना की उद्देशिका में तिलहनों के साथ दलहन उपजों को भी लाभकारी मूल्य दिलाने का उल्लेख है। इसी योजना की मार्गदर्शिका में कुल उत्पादन में से 25 प्रतिशत से अधिक की खरीद को प्रतिबंधित किया हुआ है। प्रतिबंध को हटाया तो नहीं गया बल्कि 25 प्रतिशत से अधिक खरीद की छूट देने का प्रावधान कृषि मंत्रालय के साथ वाणिज्य एवं वित्त मंत्रालय को भी जोड़कर कठोर बना दिया गया। दूसरी ओर लूट रहित दाने-दाने की खरीद करने के किसानों के आग्रह को ठोकर मार दी गई। किसानों के बढ़ते विरोध को देखते हुए 31 अगस्त 2022 को मसूर, अरहर एवं उड़द की खरीद के प्रतिबंध में 25 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया गया। उसी क्रम में 1 अप्रैल 2024 से इन तीनों दलहनों की खरीद के प्रतिबंध को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। किंतु मूंग एवं चना में यह प्रतिबंध यथावत चल रहा है। इस भेदभाव का कारण अरहर, मसूर एवं उड़द आयात की तुलना में चने एवं मूंग की मात्रा कम हो जाना बताया। किसी विद्यार्थी के अपेक्षाकृत अधिक अंक आ जावे तो उसे पुरस्कृत करने के स्थान पर दंडित करने जैसी यह कार्यवाही है। किसानों के निरंतर आंदोलन करने के उपरांत चने की शत-प्रतिशत खरीद में 25 प्रतिशत का प्रतिबंध बाधा बना हुआ है।

चना उत्पादन में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान देश में सर्वोच्च स्थान पर हैं। अपवादों को छोड़कर चना की खरीद किसी भी वर्ष में प्रतिबंधित सीमा से अधिक नहीं हुई। वर्ष 2020-21 में चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,200 रुपए प्रति क्विंटल होते हुए भी किसानों को एक क्विंटल पर 1,000 रुपए तक का घाटा उठाकर बेचना पड़ा था। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए राजस्थान में जयपुर जिले के उपखंड दूदू क्षेत्र में 500 से अधिक चने से लदे हुए ट्रैक्टर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सप्ताह से अधिक समय तक आंदोलित रहे थे। इस अवधि में अन्नत्याग सत्याग्रह से भी सरकारों का दिल नहीं पसीजा था। यह तो नेफेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक ने उनके गोदाम में जमा लगभग 15 लाख टन चने की खुली बिक्री किसानों के आग्रह पर रोक दी थी, जिससे बाजार में चने के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक हो गए थे, तब आंदोलनरत किसानों को उनके चने का घोषित न्यूनतम दाम प्राप्त होना संभव हुआ था।

वर्ष 2025-26 में चने की सी-2 संपूर्ण लागत 4,875 रुपए प्रति क्विंटल है, भारत सरकार की ओर से बजट 2018-19 में लागत से डेढ़ गुना दाम निर्धारण की घोषणा के अनुसार एक क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,312.50 रूपये होना चाहिए था, किंतु भारत सरकार ने एक क्विंटल के लिए 5,875 रूपये की घोषणा की है। जबकि 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' का निर्धारण डॉक्टर एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित 'राष्ट्रीय किसान आयोग' (2004-2006) की अनुशंसा के अनुसार व्यापक लागत में 50 प्रतिशत लाभांश जोडकर निर्धारण किया जाना चाहिए।

मूल्य निर्धारण के बाद खरीद में सरकारी ढुल- मुल व्यवहार का परिणाम भी किसानों को भोगना पड़ता है, यथा-खरीद नीति का केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद राज्यों द्वारा अधिसूचना प्रसारित करने में 41 दिन तथा राज्यों द्वारा प्रसारित अधिसूचना के उपरांत वास्तविक खरीद में 73 दिन तक का विलंब इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। सरकारों की भेदभावपूर्ण गलत नीतियों एवं ढिलाई के कारण किसानों को घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी वंचित रहना पड़ता है।

चने पर जून 2006 से लेकर दिसंबर 2017 तक आयात शुल्क शून्य था, उसके बाद 30 प्रतिशत, फरवरी 2018 में 40 प्रतिशत, मार्च 2018 में 60 प्रतिशत था, जिसे घटाकर फरवरी 2021 में 10 प्रतिशत, 50 प्रतिशत अतिरिक्त कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर, 4 मई 2024 से 31 मार्च 2025 तक शून्य कर दिया गया, 1 अप्रैल 2025 से 10 प्रतिशत है। पीली मटर के आयात के लिए 4 मई 2024 से 31 मार्च 2026 तक आयात शुल्क शून्य कर दिया गया। वर्ष 2015-16 में चने के आयात की मात्रा 10.3 लाख टन थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 16.1 लाख टन हो गई। इससे आयात पर खर्च की गई राशि 4,454 करोड़ से बढ़कर 10,307 करोड रुपए हो गई। भारत सरकार द्वारा चने के आयात पर आरोपित 60 प्रतिशत शुल्क को घटाकर शून्य तक लाने का भी दुष्परिणाम किसानों को भुगतना पड़ रहा है।

देश में चने का क्षेत्रफल 2020-21 में 107 लाख हेक्टर से घटकर 2024-25 में 96 लाख हेक्टर रह गया। मार्च 2024 से मार्च 2025 तक की अवधि में बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के लगभग बराबर रहे। वर्ष 2022-23, 2023-24 2024-25 की 3 वर्षों की अवधि में देश के कुल उत्पादन में से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की भागीदारी दो तिहाई से अधिक है, जो क्रमश 26.2 प्रतिशत, 24.4 प्रतिशत, 16.5 प्रतिशत है। गुजरात की भागीदारी 11.1 प्रतिशत को सम्मिलित करने पर इन चारों राज्यों की भागीदारी ही 78.2 प्रतिशत है। संयोग से देश के कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से हैं, जो चना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री राजस्थान में अजमेर लोकसभा क्षेत्र से हैं, जो चना उत्पादन में राजस्थान में अग्रिम पंक्ति में है, इसी क्षेत्र की विधानसभा दूदू से निर्वाचित विधायक उपमुख्यमंत्री हैं। मूंग उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। इसके उपरांत भी प्रतिबंध के कारण चना एवं मूंग के 75 प्रतिशत उत्पादक किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित है।

खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,768 रुपए प्रति क्विंटल घोषित था। प्राकृतिक आपदा के कारण मूंग की लगभग आधी पैदावार चौपट हुई। आपूर्ति कम तथा मांग अधिक होने पर मूल्य में बढ़ोतरी होती है, इस सिद्धांत के विपरीत किसानों को एक क्विंटल मूंग घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से 3000 रुपए से अधिक का घाटा उठाकर बेचना पड़ा। सरकार ने अनेक बार संसद में किसी भी किसान को उसकी उपज 'घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य' से कम दामों में बेचने के लिए विवश नहीं होने के प्रति आश्वस्त किया हुआ है।

किसानों ने भी खेती करने का अर्थ उत्पादन की गतिविधियों तक मान लिया है। जबकि इसमें दाम प्राप्त करना भी सम्मिलित है। लाभ में संतोष करना उत्तम गुण है, किंतु लाभ प्राप्ति के लिए क्रियाशील नहीं रहना कमजोरी है। 'संतोषी सदा सुखी' जैसी कहावत को आधार बनाकर सामर्थ्य प्रकट करने से बचने के लिए कम दाम प्राप्त होने को अपना भाग्य समझ लिया है। जैसे- कोई चालणी लेकर दूध निकालने के लिए दुधारू पशु के नीचे बैठ जाए फिर घर तक दूध नहीं पहुंचने को भाग्य की संज्ञा देकर कहे कि जो भाग्य में था, वह प्राप्त हो गया। इसीलिए कटाक्ष के रूप में चालणी में दूध दुहे और भाग्य पर भरोसा करे की लोकोक्ति प्रचलन में आई है। बाजार भावों का चढ़ना-उतरना सरकारों की बेईमानी से ग्रसित भेदभावपूर्ण नीतियों का परिणाम है। फसल के दाम प्राप्ति की दिशा में बेईमानी को भाग्य समझने की भूल का सुधार ही एकमेव मार्ग है।

–रामपाल जाट,
राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत

अब निर्णय-निर्माण में बढ़ेगी भागीदारी : नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नया भारत

डॉ. सौम्या गुर्जर

भारत के लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कभी शून्य नहीं रही, लेकिन यह लंबे समय तक निर्णायक भी नहीं बन पाई। प्रतिनिधित्व था, पर प्रभाव सीमित रहा और यही वह अंतर था, जिसने नीति-निर्माण को अधूरा रखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी कमी को दूर करने का एक ठोस और आवश्यक प्रयास है। महिला आरक्षण का प्रश्न नया नहीं है। 1996 से यह विषय देश की राजनीति में मौजूद रहा, लेकिन दशकों तक यह सहमति और प्राथमिकता के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाया। वर्ष 2023 में इसे संवैधानिक स्वरूप मिला, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। यह केवल एक विधेयक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे में एक संरचनात्मक सुधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस अधिनियम को जिस प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया गया, वह यह स्पष्ट करता है कि महिला सशक्तिकरण अब नीति का केंद्र है, न कि केवल एक सामाजिक विमर्श। महिला-नेतृत्व वाले विकास की अवधारणा इसी सोच का विस्तार है।

भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लंबे समय तक सीमित रहा लोकसभा में लगभग 15 प्रतिशत और कई विधानसभाओं में इससे भी कम। यह असंतुलन केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं था; इसने नीति-निर्माण की दिशा को भी प्रभावित किया। जब निर्णय-प्रक्रिया में विविधता सीमित होती है, तो नीतियां भी सीमित दृष्टिकोण के साथ बनती हैं।

वैश्विक अनुभव भी यही दर्शाता है कि जहाँ निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी अधिक होती है, वहाँ शासन अधिक संतुलित और संवेदनशील होता है। कई यूरोपीय देशों में यह स्पष्ट रूप से देखा गया है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि उनकी कम जनसंख्या उनके विकास का मुख्य कारण है यह आंशिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं।

वास्तविक अंतर इस बात से आता है कि निर्णय लेने वालों की सोच कितनी समावेशी है। हमारे समाज में यह अनुभव रहा है कि घर की धुरी महिला होती है। वह केवल जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करती, बल्कि संतुलन और दूरदर्शिता के साथ निर्णयों को दिशा देती है। परिवार के स्तर पर जो नेतृत्व स्वाभाविक रूप से विकसित होता है, वही जब शासन में स्थान पाता है, तो नीतियां अधिक संवेदनशील और समाज के वास्तविक सरोकारों से जुड़ी होती हैं। इस अधिनियम का महत्व केवल सीटों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक प्रभाव निर्णय-निर्माण की प्रकृति में बदलाव के रूप में दिखाई देगा। जब महिलाएं नीति-निर्माण का हिस्सा बनेंगी, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और बालिकाओं से जुड़े मुद्दे अधिक प्राथमिकता के साथ सामने आएंगे। भारत में पंचायत स्तर पर महिलाओं के आरक्षण ने पहले ही यह सिद्ध किया है कि अवसर मिलने पर नेतृत्व उभरता है और शासन अधिक उत्तरदायी बनता है। यही अनुभव अब राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने जा रहा है, जहाँ महिलाओं की भागीदारी केवल उपस्थिति नहीं, बल्कि प्रभाव के रूप में दिखाई देगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का वास्तविक महत्व आने वाले वर्षों में सामने आएगा, जब यह भारत की नीति-निर्माण प्रक्रिया को अधिक संतुलित और प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाएगा। यह केवल सीटों का पुनर्वितरण नहीं, बल्कि नेतृत्व के पुनर्संतुलन की शुरुआत है। जब निर्णय-निर्माण में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित होगी, तब शासन अधिक संतुलित, संवेदनशील और भविष्य उन्मुख बनेगा और यही किसी भी विकसित राष्ट्र की वास्तविक पहचान है।

–डॉ. सौम्या गुर्जर,
जयपुर नगर निगम (ग्रेटर)

सीटों का परिसीमन और महिला आरक्षण: संवैधानिक कानूनी आधार, फिर हंगामा क्यों?

डा. योगेश शर्मा

16 से 18 अप्रैल 2026 तक भारतीय संसद के विस्तारित बजट सत्र की तीन दिवसीय विशेष बैठक का आयोजन अपने आप में ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस बैठक के एजेंडे में तीन अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं-संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026, तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026। इन प्रस्तावों के केंद्र में तीन परस्पर जुड़े हुए मुद्दे हैं-जनगणना, परिसीमन और महिला आरक्षण। यह भारतीय लोकतंत्र के ढाँचे, उसकी प्रतिनिधिक क्षमता और उसके भविष्य के स्वरूप पर होने वाला एक गहरा राष्ट्रीय विमर्श है। इन विधेयकों का संबंध न केवल भारत के संसदीय ढांचे में संरचनात्मक परिवर्तन से है, बल्कि यह लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, संघीय संतुलन और सामाजिक समावेशन जैसे मूलभूत प्रश्नों को भी छूते हैं। इससे पहले, वर्ष 2023 में पारित संविधान (128वाँ संशोधन) विधेयक, जिसे बाद में 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में मान्यता मिली और जिसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के रूप में प्रस्तुत किया गया, ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया। अब वर्तमान में प्रस्तावित संशोधन और परिसीमन प्रक्रिया इसी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में अगला तार्किक कदम माने जा रहे हैं। भारतीय संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को 'जनता के प्रतिनिधि सदन' रूप में मान्यता प्राप्त है। ऐसे में सीटों का परिसीमन, लोकसभा और विधानसभाओं की सदस्य संख्या में वृद्धि, और महिला आरक्षण जैसे उपाय-लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के विस्तार और उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक संवैधानिक कदम हैं। फिर भी प्रश्न यह उठता है कि इन मुद्दों पर संवाद और बहस स्वाभाविक होने के बावजूद, इन्हें लेकर हंगामे का वातावरण क्यों बनाया जा रहा है?

यदि हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो भारतीय संसद की वैधानिक और नैतिक जड़ें हमारी संविधान सभा में ही निहित हैं, जिस सभा ने न केवल संविधान का निर्माण किया बल्कि स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में विधायी संस्था के रूप में भी कार्य किया। 1952 में प्रथम निर्वाचित लोकसभा के गठन के समय इसकी सदस्य संख्या 489 थी। संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा की संरचना निर्धारित की गई, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के साथ-साथ अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया।

अनुच्छेद 82 के अनुसार, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभाओं की सीटों का पुनर्समायोजन किया जाना आवश्यक है। 1961 तथा 1971 की जनगणना के बाद भी परिसीमन हुआ। इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य यह था कि पूरे देश में लगभग प्रत्येक संसदीय सीट समान आबादी का प्रतिनिधित्व करे, ताकि लोकतांत्रिक समानता बनी रहे। इनके आधार पर लोकसभा की सीटें 489 से बढ़कर 543 तक पहुंचीं, जबकि राज्यों की विधानसभाओं की सीटों में भी वृद्धि हुई-जैसे राजस्थान विधानसभा की सीटें 160 से बढ़कर 200 तक हो गईं।

हालांकि, 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, देश की तत्कालीन परिस्थितियों और जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत यह निर्धारित किया गया कि वर्ष 2000 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इसके लिए 1971 की जनगणना को आधार माना जाएगा। बाद में, 2001 में 84वें संविधान संशोधन के द्वारा इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए सीटों की संख्या को 2026 तक स्थिर कर दिया गया। परन्तु इस नीति से जहां एक ओर जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन मिला, वहीं दूसरी ओर संसदीय लोकतंत्र के एक मूलभूत सिद्धांत-प्रतिनिधित्व पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा। विशेष रूप से, मतदाता और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क में कमी आई।

सीटों की संख्या को 2026 तक स्थिर करने से प्रस्तुत प्रतिनिधित्व का संकट वर्तमान प्रस्तावों की पृष्ठभूमि तैयार करता है। संविधान के अनुसार, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 निर्धारित की गई है, जिसमें अधिकतम 530 सदस्य राज्यों से तथा अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। प्रस्तावित विधेयक में इस सीमा को बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें अधिकतम 815 सदस्य राज्यों से तथा अधिकतम 35 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। वर्तमान में प्रस्तुत 131वाँ संविधान संशोधन विधेयक, अनुच्छेद 81, 82, 170 और 330 में संशोधन करते हुए परिसीमन और महिला आरक्षण को प्रभावी बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है। सरकार का तर्क है कि यह केवल सीट वृद्धि का प्रश्न नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को वर्तमान जनसंख्या-यथार्थ के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है। साथ ही, महिला आरक्षण लागू करने के लिए आवश्यक राजनीतिक और संरचनात्मक स्थान भी इसी विस्तार के माध्यम से तैयार किया जा सकेगा। यह पूरी प्रक्रिया संवैधानिक और विधिसम्मत है, और संसद में व्यापक बहस एवं मतदान के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।

इस व्यापक विमर्श का महत्वपूर्ण आयाम महिला आरक्षण है। 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। यदि प्रस्तावित 850 सीटों में लगभग 280 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, तो बड़ी संख्या में महिलाओं के लिए राजनीति के द्वार खुलेंगे। महिला आरक्षण केवल राजनीतिक प्रावधान नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी लोकतंत्र की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वे राजनीतिक दल, जो लंबे समय से महिला सशक्तिकरण की बात करते रहे हैं, क्या वे इस संवैधानिक प्रावधान को वास्तविक रूप में लागू करने की प्रतिबद्धता दिखाते हैं।

जहां तक राजनीतिक विरोध का प्रश्न है, कुछ विपक्षी दलों और विशेष रूप से दक्षिण भारत के राज्यों को आशंका है कि परिसीमन प्रक्रिया जनगणना से पृथक होकर राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। दक्षिण भारत के राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ने अपेक्षाकृत बेहतर जनसंख्या नियंत्रण किया है। सम्भवतः इन राज्यों